संख्या– 767 / XIX-1 / 18–172 / 2007–टी0सी0

प्रेषक,

रणवीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 25 जून, 2018

विषय :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक–4408 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–500 / आ0ले0शा0 / कम्प्यूटरीकरण / 2018–19, दिनांक–25.05.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के शासनादेश संख्या–23 / उत्तराखण्ड / 2012–Comp.CELL, दिनांक–26.02.2013 के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु केन्द्रांश के रूप में रू0–5. ,24,36,000.00 (रू0–पांच करोड़ चौबीस लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 तक केन्द्रांश के रूप में रू0–2,97,42,290.00 (रू0–दो करोड़ सत्तानवे लाख बयालीस हजार दो सौ नब्बे मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू0–2,97,42,290.00 (रू0–दो करोड़ सत्तानवे लाख बयालीस हजार दो सौ नब्बे मात्र) की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक 4408 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0–2,26,93,710.00 (रू0–दो करोड़ छब्बीस लाख तिरानवे हजार सात सौ दस मात्र) में से केन्द्रांश के रूप में रू0–2.00 करोड़ (रू0–दो करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1)– स्वीकृत धनराशि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप उसी मद में व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की

जा रही है। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों/मदों में क्रियान्वयन के लिये नहीं किया जायेगा। साथ ही संचालन, रख–रखाव, सुरक्षा, समन्वय Campatibility सहित m/s आदि सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी यथोचित रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(2)– स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3)– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व यथास्थिति जहां आवश्यक हो वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(4)– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय यथासमय बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(5)– बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(6)– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012, दिनांक–28.03.2012 में दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि का आहरण इन्टरनेट पर डाउनलोड सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय व्यय के अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक 4408–खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय–01–खाद्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 02–उत्तराखण्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण–42–अन्य व्यय की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018, दिनांक–02.04.2018 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या– 767 /XIX-1/18–172/2007–टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–05/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव।